डीईओ पलवल को फरीदाबाद का अतिरिक्त चार्ज देकर मुनेश के लिए पद खाली रखा गया है ?

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) बीते जून माह में यहां की डीईओ मुनेश चौधरी तीस अगस्त तक की छुट्टी पर चली गई थी जबकि 31 अगस्त को उनका रिटायरमेंट तय है। सवाल यह पैदा होता है कि जब वह रिटायरमेंट होने तक के लिए लंबी छुट्टी पर चली गईं तो इस पद को खाली क्यों रखा गया? करीब चार सप्ताह के बाद 25 जून को पलवल के डीईओ अशोक बघेल को यहां का अतिरिक्त चार्ज इस शर्त के साथ दिया गया है कि जब मुनेश लौट कर आए तो वह उन्हें चार्ज सौंप देंगे। कितना अजीब निर्णय है, पहले तो चार सप्ताह तक पोस्ट को खाली रखा जाता है उसके बाद भी मुनेश के आने का इंतजार बाकी रखा जाता है दरअसल, मुनेश की ये पुरानी आदत है जब कभी भी उन पर काम का दबाव पड़ता है वो छुट्टी भाग जाती हैं। पिछले दिनों जब उपायुक्त अथवा अतिरिक्त उपायुक्त जब उन्हें बुलाते तो वह अपने किसी मातहत को मीटिंग में भेज देतीं! लेकिन जब कभी उन्हें व्यक्तिगत रूप से बुलाया जाता तो वे बीमारी की छुट्टी लेकर निकल लेती थीं। एक बार तो ऐसी ही स्थिति में अतिरिक्त उपायुक्त अपराजिता ने उन्हें टेलीफोन कर कहा कि तुम्हारी छुट्टी रद्द की जाती है और तुरंत दफ्तर में आएं तब कहीं जाकर वे अतिरिक्त उपायुक्त के दफ्तर पहुंची थीं।

इससे भी भयंकर स्थिति मई में तब उत्पन्न हो गई जब निदेशालय ने उनके जिले के सबसे रद्दी परीक्षा परिणाम को लेकर उनकी रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट तो मुनेश ने क्या देनी थी, क्योंकि रिपोर्ट तो उन्हें लिखनी आती नहीं, काम कभी किया नहीं! निदेशालय से बार बार रिमाइंडर आने के चलते जून में उन्होंने तीन माह की यानी कि अपने रिटायमेंट तक की छुट्टी भर दी। इस मामले को लेकर मज़दूर मोर्चा ने अपने .....विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की हुई है। दूसरी ओर जिले के उपायुक्त विक्रम सिंह तथा अतिरिक्त उपायुक्त अपराजिता मुनेश की कार्यशैली को लेकर

सतबीर मान, एचसीएस

संजय जून, आईएएस

विपरीत टिप्पणियां करते हुए निदेशालय से उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की सिफारिश कर रखी थी, ऐसे में छुट्टी लेकर ही अपनी जान छुटाना मुनेश ने बेहतर समझा था। इस बीच उनके पति धर्म सिंह ने निदेशालय के चक्कर लगा कर तथा राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए सारे मामले को ठंडे बस्ते में डलवा दिया।

अब मुनेश की बड़ी तीव्र इच्छा है कि वह जल्द से जल्द छुट्टियां रद्द कराकर पुनः डीईओ की कुर्सी पर बैठ जाएं और सेवानिवृत्ति से पहले पहले जो कुछ बटोरा जा सके बटोर ले। लेकिन इस तीव्र इच्छा के आगे सबसे भयंकर रुकावट मुनेश के विरुद्ध दर्ज वह एफआईआर है जिसमें उन पर 25 लाख से अधिक रुपये के घोटाले का आरोप है। इस मामले में मुनेश गिरफ्तारी से तो बच गईं और मुकदमे को भी चलने से रोके रखा गया है जानकार बताते हैं कि मुकदमे की इस धार से बचने के लिए दो करोड़ से अधिक खर्च किया जा चुका है, विदित है कि इस तरह के लेनदेन की न तो कोई रसीद होती है और न ही लेने वाला न ही देने वाला पुष्टि करता है इस लेनदेन में अधिकांश उंगलियां स्थानीय सांसद एवं केंद्रीय मंत्री किशन पाल तथा मुख्यमंत्री खट्टर के कलेक्शन एजेंट अजय गौड़ की ओर भी उठ रही हैं।

एफआईआर एक बहुत ही खतरनाक चीज होती है इसको कुछ समय के लिए रोका एवं टाला तो जा सकता है लेकिन जड़मूल से समाप्त करना आसान नहीं होता। 31 अगस्त को सेवानिवृत्त होने वाली मुनेश को सेवानिवृत्ति का कोई भी लाभ यानी पेंशन, ग्रेच्युटी, लीव एन्कैशमेंट आदि कुछ भी नहीं मिल सकता जब तक वे इस मुकदमे से पाक साफ बरी होकर न निकल जाएं।

इससे निजात पाने के लिए मुनेश ने 25 अप्रैल को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एफआईआर रद्द करने की याचिका दायर की थी। अदालत ने सुनवाई के लिए 25 जुलाई की तारीख तय कर दी थी लेकिन मुनेश को तो डीईओ की कुर्सी पर बैठने की बहुत जल्दी थी, इसलिए उनकी ओर से पांच जुलाई को हाईकोर्ट में अर्जेंट दरख्वास्त लगा कर तुरंत सुनवाई की मांग की गई जिसे हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया, यानी की अब सुनवाई 25 जुलाई को ही होगी।

इस मामले में मुनेश की तिकड़मबाजी का आलम यह है कि हाईकोर्ट में लगने वाली पेशी की भनक तक एफआईआर दर्ज कराने वाले को न लगने दी। विदित है कि जब भी कोई अदालत किसी केस की सुनवाई के लिए तारीख तय करती है तो दूसरे पक्ष को भी नोटिस भेजती है। स्वाभाविक है इस मामले में भी हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता को नोटिस भेजा होगा जिसे तिकड़मबाजी करके रास्ते में ही गायब करा दिया गया होगा, लेकिन चौकन्ने शिकायतकर्ता को इसकी भनक लग गई और उन्होंने भी अपना वकील कोर्ट में खड़ा कर दिया। अब देखना है कि 25 जुलाई को हाईकोर्ट क्या फैसला करता है, समझा जा रहा है कि मुनेश की प्रार्थना यह है कि उसके रिटायमेंट से पहले एफआईआर खत्म की जाए। इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि एफआईआर को रद्द किया जाए हाई कोर्ट, ट्रायल कोर्ट को यह भी निर्देश दे सकती है मामले की सुनवाई दिन प्रतिदिन के हिसाब से करके मामले को तय समय सीमा के अंदर निपटा दिया जाए।

भ्रष्ट अफसरों के संरक्षण में पली मुनेश चौधरी

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) जुगाड़बाजी से शिक्षा विभाग की नौकरी में आई मुनेश चौधरी का लक्ष्य कभी भी बच्चों को पढ़ाने का नहीं रहा था। उनका एकमात्र लक्ष्य तो केवल येन केन प्रकारेण सरकारी साधनों का दुरुपयोग करते हुए लूट कमाई करना रहा है इस उद्देश्य के लिए राजनेताओं के साथ-साथ अफसरशाहों का संरक्षण बनाए रखना निहायत जरूरी होता है जिसे मुनेश ने अपने पति धर्मसिंह के सहयोग से बराबर बनाए रखा विदित है कि धर्म सिंह खुद फरीदाबाद नगर निगम के बिना डिग्री के भ्रष्टतम इंजीनियरों में से एक रहे हैं। इसी संरक्षण के चलते मुनेश चौधरी के लिए बच्चे पढ़ाने की नौबत कभी नहीं आई उनकी अधिकतम नौकरी कक्षा पढ़ाने के बजाय दफ्तरों में ही बीती है।

अफसरशाही एवं राजनेताओं से जुगाड़बाजी के चलते वे न केवल अपने अधीनस्थों पर हावी रहती थी बल्कि अपने ऊर तैनात सुपरवाइजरी अफसरों को भी दबा कर रखती रही है। जब वे मात्र शिक्षक थी तो प्रिसिंपल की हिम्मत नहीं होती थी उससे पूछने की कि वह स्कूल क्यों नहीं आती, जब प्रिंसिपल बनी तो कभी बीईओ की हिम्मत नहीं पड़ी कि वह उसे टोक सके और जब बीईओ बनी तो डीईओ तक भी उन्हें सलाम करते रहे हैं, इसी रुतबे के चलते मुनेश ने न तो कभी ढंग से ड्यूटी करी और न ही कभी छुट्टियां लीं। पूरी नौकरी में अब पहली बार वे छुट्टियों पर चल रही हैं। इससे पहले चाहे बेटी बेटे की शादी रही हो या बेटी की कोचिंग कराने कोटा जाना पड़ा हो, कभी छुट्टी लेने की जरूरत नहीं समझी गई थी। और तो और पूरी नौकरी में उनका तबादला कभी फरीदाबाद जिले से बाहर नहीं हुआ, यह रुतबा रहा है मुनेश चौधरी का।

बीते दिनों ऊंट पहाड़ के नीचे तब आया जब एक दबंग डीईओ रितु चौधरी यहां नियुक्त हो गई और उनकी नंबर दो बन कर मुनेश बतौर डीईईओ यहां तैनात हो गईं। रितु चौधरी ठीक नौ बजे अपनी सीट पर आ बैठती और दिन भर पूरा काम काज निपटा कर जिला प्रशासन की मीटिंग भी अटेंड करती, तमाम जिम्मेदारियां भी निभाती, जबकि मुनेश चौधरी को तो दफ्तर आने की आदत थी नहीं और न ही किसी प्रशासनिक मीटिंग का सामना कर सकती थी, इस पर जब डीईओ रितु ने मुनेश को टाइट करना शुरू किया तो न केवल स्थानीय प्रशासन में बैठे अफसरान बल्कि चंडीगढ़ निदेशालय में बैठे अफसरान भी हरकत में आ गए। तत्कालीन अतिरिक्त उपायुक्त सतबीर मान (एचसीएस)ने दो-चार बार तो रितु को समझाया कि वे मुनेश को तंग न किया करे, रितु का जवाब होता था कि वे किसी को तंग नहीं करती वे तो केवल दफ्तर का काम चाहती हैं, इस पर तो मान साहब बिगड़ गए और डीईओ को बुरी तरह से हड़काते हुए कहा कि वे मुनेश के हाजिरी रजिस्टर को हाथ भी नहीं लगाएंगी, उनसे कोई काम भी नहीं कहेंगी आदि-आदि। दरअसल, सतबीर मान ने यह नौकरी कोई प्रतियोगिता जीत कर न पाई थी बल्कि सिफारिशों के बल पर पाई थी। इसके अलावा सतबीर मान अपनी नगर निगम में तैनाती के दौरान मुनेश के पति धर्मसिंह से भी भली-भांति जुड़े रहे हैं।

मुनेश को संरक्षण देने में सतबीर मान के अलावा तत्कालीन मंडलायुक्त संजय जून भी किसी तरह पीछे नहीं रहना चाहते थे, उन्होंने भी डीईओ रितु पर हर तरह के दबाव बनाए। जब कोई दबाव काम न आया तो अंत में अवज्ञा (इन सबऑर्डिनेशन)का आरोप (चार्ज) लगाकर नियम आठ के तहत जांच शुरू करने की सिफारिश निदेशालय को कर दी, अब पूछे कोई मंडलायुक्त महोदय से कि उनका डीईओ से आज्ञा या अवज्ञा का ताल्लुक ही क्या है, ले देकर ताल्लुक केवल मुनेश चौधरी को कवच प्रदान करना था। मसला यहीं खत्म नहीं होता, संजय जून वही अधिकारी हैं जिन्होंने यहां पर अतिरिक्त उपायुक्त होते हुए मुनेश चौधरी को उस 25 लाख के घोटाले से बरी कर दिया था जिसे लेकर अब न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करा रखी है। एक और मजे की बात तो यह है कि संजय जून ने न केवल मुनेश को बरी कर दिया था बल्कि उसके बाद से वह फाइल भी किसी को देखने को न मिल सकी। चर्चा तो यह है कि वह फाइल जला दी गई सच्चाई क्या है पता नहीं। सतबीर मान की ही तरह संजय जून भी कोई प्रतियोगिता जीत कर नौकरी में नहीं आए थे उन्होंने भी यह नौकरी अनुकंपा के आधार पर प्राप्त की थी।

इन स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों की तरह ही निदेशालय में बैठे लगभग तमाम छोटे-बड़े अधिकारी यहां तक कि तत्कालीन निदेशक महावीर सिंह भी मुनेश के संरक्षण हेतु इस तरह से मैदान में उतरते थे जैसे कि वे सभी लोग उनके पे रोल पर हों। बेशर्मी की इंतेहा करते हुए निदेशालय ने बाकायदा लिखित आदेश जारी करके डीईओ रितु चौधरी को कहा था कि वे मुनेश के किसी काम-काज में दखल न दिया करें। मुनेश-धर्म सिंह परिवार को संरक्षण देने वाले अफसरों में अनीता यादव आईएएस भी एक रही हैं जो हर जगह इनकी पैरवी करती रही है। वह खुद आज भ्रष्टाचार की आरोपी है, उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो चुकी है।

मुनेश चौधरी को पहली बार टकरे असली अफसर

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

मुनेश व उनका पति धर्मसिंह पांच-दस आईएएस, दस-बीस एचसीएस अफसरों को जेब में लेकर घूमने का जो भ्रम पाले हुए थे उसे पहली बार तोड़ा पूर्व उपायुक्त जितेंद्र यादव ने। अपने राजनीतिक आकाओं के बल पर रितु का यहां से तबादला कराकर जब मुनेश डीईओ बन बैठी तो उन्हें सामना करना पड़ गया तत्कालीन उपायुक्त जितेंद्र यादव का, अपनी आदत के मुताबिक दो-चार बार तो उन्होंने मीटिंग से टलने की कोशिश की लेकिन जब जीतेंद्र यादव ने सख्ती दिखाई तो उन्हें मीटिंग में जाना पड़ा। अब काम तो कभी मुनेश ने किया नहीं था बात कोई समझ में आती नहीं थी लिहाजा हर मीटिंग में उपायुक्त से झाड़ खाती, एक बार तो गजब ही हो गया मुनेश ने अपनी मूर्खता से पूरी सरकार के मुंह पर कालिख पोतने वाला काम कर दिया था हुआ यूं था कि बीती पंद्रह अगस्त को एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत घर-घर तिरंगा लगाने का कार्यक्रम था। इसकी आड़ में मुनेश ने तमाम निजी स्कूलों को एक सर्कुलर भेज कर लाखों रुपये के झंडे खरीदने का आदेश दे दिया। बस फिर क्या था, बात जंगल की आग की तरह फैल गई,तत्कालीन उपायुक्त जीतेंद्र यादव ने जैसे-तैसे डैमेज कंट्रोल करने के बाद शिक्षा निदेशालय को कड़ा पत्र लिखते हुए मुनेश के खिलाफ नियम सात के तहत कार्रवाई की सिफारिश कर दी।

प्रतिनियुक्ति पर हरियाणा में आए जीतेंद्र यादव को कुछ ही दिन बाद वापस अपने मूल काडर में दिल्ली लौटना पड़ गया। उनके बाद आए उपायुक्त विक्रम सिंह तथा अतिरिक्त उपायुक्त अपराजिता ने अपनी-अपनी तहकीकात के बाद जो भयंकर रिपोर्ट लिखते हुए निदेशालय से मुनेश के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की उसका विवरण 18-24 जून के अंक में विस्तार से दिया जा चुका है। दुर्भाग्य इस देश का यमुना नगर का खान माफिया कुंवरपाल गूजर इस प्रदेश का शिक्षा मंत्री बना हुआ है यमुना की रोड़ी-बजरी की चोरी के अलावा अन्य काले-पीले धंधे कुंवरपाल के खाते में बहुत पहले से दर्ज होते आए हैं। इन्हीं शिक्षामंत्री के आदेश पर मुनेश के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने के बजाय मात्र स्पष्टीकरण लेकर मामले को दाखिल दफ्तर करने को कह दिया गया। मजे की बात तो यह है कि स्पष्टीकरण भी मुनेश से न लिखा गया। इसके लिए भी धर्मसिंह को शिक्षा निदेशक अंशज सिंह के कार्यालय जाकर उनकी चरण वंदना करनी पड़ी।

वैसे अंशज सिंह का हाल कोई बहुत अच्छा नहीं है। दिनांक 28 जून को उन्होंने एक आदेश जारी किया कि इंदू बोकन डीईओ गुड़गांवां फरीदाबाद के डीईईओ का अतिरिक्त कार्यभार संभालेंगी। अब इंदू बोकन की ताकत देखिए उन्होंने अंशज सिंह को ललकारा कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उनका इस तरह से तबादला करने की। अपनी ताकत का खुला प्रदर्शन करते हुए इंदू बोकन ने अगले ही दिन यानी कि 29 जून को इसे रद्द करवा दिया। गौरतलब है कि 29 जून को ईद उल अज़हा की छुट्टी के चलते हरियाणा सरकार के तमाम दफ्तर बंद थे, इसके बावजूद यह इंदू बोकन की ही ताकत थी जो खास तौर पर दफ्तर खोला गया और उस आदेश को रद्द करने वाला आदेश तुरंत जारी किया गया। वरना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी इस तरह का ऑर्डर दो चार दस दिन बाद भी कैंसिल हो जाए तो कोई आफत नहीं आती लेकिन इंदू को तो अपनी ताकत का प्रदर्शन करके अपने निदेशक अंशज को उसकी औकात दिखानी थी। इंदू बोकन पिछले करीब आठ-नौ साल से गुड़गांवां में ही तैनात हैं। सजातीय होने के नाते शिक्षा मंत्री कुंवरपाल उन पर जरूरत से कुछ ज्यादा ही मेहरबान हैं।

इन हालात में राज्य की शिक्षा का बेड़ा तो गर्क होना ही होना है जहां न कोई शासन है न केवल प्रशासन है, केवल भाई - भतीजावाद व लूट तंत्र का राज कायम है।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 708 सैक्टर-14 फरीदाबाद से प्रकाशित किया।